मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY
A Central University under Ministry of Education
Government of India

दिनांक 20.08.2024 को प्रातः 11:30 बजे आयोजित राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठक का कार्यवृत्त ।

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे -

1. प्रो.सैयद नजमुल हसन, अध्यक्ष
   प्रोफेसर, विज्ञान संकाय
2. डॉ.शगुफ़्ता परवीन, सदस्य / संयोजक
   हिन्दी अधिकारी, हिन्दी प्रकोष्ठ
3. प्रो. पठान रहीम खान, सदस्य
   प्रोफेसर, हिन्दी विभाग
4. डॉ.अश्वनी, सदस्य
   एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग
5. डॉ. शाहिद जमाल, सदस्य
   सहायक प्रोफेसर, दक्कन अध्ययन केन्द्र
6. डॉ.बोस्का भाग्यम्मा, सदस्य
   सहायक प्रोफेसर, शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

सर्व-प्रथम संयोजक महोदया द्वारा राजभाषा कार्यान्वियन समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया और बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई:-

बिंदु सं.1. हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा की गई पिछली गतिविधियों का पुनरावलोकन ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हिन्दी अधिकारी(राजभाषा अधिकारी) द्वारा हिन्दी प्रकोष्ठ की पूर्व गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में सदस्यों के समक्ष निम्नलिखित विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया ।

- सूचित किया गया कि, हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिन्दी पारंगत पाठ्यक्रम के आठवें बैच (जनवरी-मई, 2024 सत्र) के सभी प्रशिक्षार्थियों ने पारंगत परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है।
- सूचित किया गया कि, हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिन्दी पारंगत पाठ्यक्रम के पांचवें एवं छठें बैच के उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों के प्रमाण पत्र हिन्दी शिक्षण योजना एवं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त हो गए है।
- सभी विभागाध्यक्षों तथा अनुभागाध्यक्षों को विभागों/अनुभागों में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन से संबंधित परिपत्र परिचालित कर दिया गए है।
- हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा विश्वविद्यालय की अधिसूचनाएं, आदेशों, सूचनाओं, परिपत्रों, मानक मसौदों आदि को द्विभाषी रूप में तैयार कर समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराया जा रहा है।
- सूचित किया गया कि, हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा विश्वविद्यालय की हिन्दी वेबसाइट को समय-समय पर अद्यतन किया जा रहा है।

20/8/24
Dr. B. Bhagyamma

21/8/24

बिंदु सं. 2. विश्वविद्यालय के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना।

सदस्यों ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2024-25 के कार्यान्वयन से अवगत कराने तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के प्रचार-प्रसार के लिए सभी विभागों एवं अनुभागों में संबंधित परिपत्र जारी कर राजभाषा (हिन्दी) के प्रति जागरूक करने का सुझाव दिया तथा इस दिशा में हिन्दी प्राज्ञ तथा पारंगत उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों द्वारा अपना सहयोग प्रदान किया जाए।

सदस्यों ने सुझाव दिया कि हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक वाक्यांशों को सप्ताह में एक बार नोटिस बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए।

सदस्यों का सुझाव था कि, राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय/यूजीसी तथा अन्य संस्थाओं से हिन्दी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिन्दी में देने का प्रयास किया जाना चाहिए, अन्यथा यह नियम का उल्लंघन होगा।

बिंदु सं. 3. तिमाही प्रगति रिपोर्ट के संबंध में चर्चा।

समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया गया कि, जून, 2024 तक की तिमाही प्रगति रिपोर्ट ,राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

बिंदु सं.4. हिन्दी दिवस पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में।

सदस्यों नें हिन्दी सप्ताह-2024 समारोह 11.09.2024 से 17.09.2024 तक मनाने और कर्मचारियों के लिए कुछ ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं (प्रशासनिक वाक्यांशों का अनुवाद, प्रश्नोत्तरी एवं कार्यशाला) को आयोजित करने का सुझाव दिया।

सदस्यों नें सुझाव दिया कि, पी.पी.टी के माध्यम से विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के निकट स्थित एल.ई.डी(LED Screen) पर **"हिन्दी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं"** तथा हिंदी भाषा से संबंधित सूक्तियों को प्रदर्शित किया जाए।

बिंदु सं.5. अध्यक्ष की आज्ञा से कोई भी अन्य मद।

- सभी विभागों के कार्यालयों में राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम 2024-25 के कार्यान्वयन से संबंधित जानकारी प्रदान कर, हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना।
- सभी अनुभागों/विभागों को हिन्दी फॉन्टस के उपयोग से संबंधित जानकारी प्रदान करना।

धन्यवाद के साथ बैठक संपन्न हुई।

21/08/24

हिन्दी अधिकारी
सदस्य एवं संयोजक
मानू, हैदराबाद

(Dr. B. Bhagyamma)

21/8/24